

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

41

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-7218/पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 23.08.2016 पारित द्वारा कलेक्टर, ऑफ स्टाम्प, धार, म.प्र. प्रकरण क्रमांक 118/2015-16/33.

मुकेश पुत्र श्री चांदमल संघवी,
निवासी ग्राम बदनावर,
जिला धार, म.प्र.

.....आवेदक

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, धार, म.प्र.
2. अभय कुमार पुत्र श्री इन्दरमल जैन,
निवासी उज्जैन, जिला उज्जैन, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री देवेन्द्र चौबे, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/2/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला धार पारित दिनांक 23.08.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बदनावर जिला धार के पत्र क्रमांक 5414/री-1/2015, बदनावर दिनांक 14.12.2015 से एक डिक्री उचित स्टाम्प के मूल्यांकन एवं वसूली बाबद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को संदर्भित की गई। पत्र अनुसार मुकेश पिता चांदमल संघवी निवासी बदनावर जिला धार द्वारा खेड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 2087/2088/9/1/1 कुल रकबा 0.076 आरी भूमि को डिक्री में पारित आदेश दिनांक 30.11.2013 अनुसार स्वयं के नामांतरण किये जाने



पर स्टाम्प ड्यूटी एवं वसूली की कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्र. 118/2015-16/33 दर्ज कर आदेश दिनांक 23.08.2016 को वर्ष 2013-14 की मार्गदर्शिका अनुसार ग्राम खेड़ा स्थित भूखण्ड की दर रु. 13,000/- प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। अतः म.प्र. लिखतों का न्यून मूल्यांकन निवारण नियम 1975 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नागत विलेख द्वारा अंतरित भूमि का बाजार मूल्य 98,80,000/- निर्धारित किया गया। अवधारित बाजार मूल्य पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1क(म.प्र) के अनुच्छेद 22 एवं अन्य अधिनियमों के तहत कुल स्टाम्प शुल्क रु. 6,17,500/- एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 40(ख) के तहत शास्ति रु. 50,000/- अधिरोपित की गई। इस प्रकार कुल राशि रु. 6,67,500/- आवेदक को शासकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा अपने जवाब में यह बताया था कि खेड़ा स्थित भूमि सर्वे नं. 2087/2088/9/1/1 कुल रकबा 0.076 आरी भूमि व्यवहार न्यायाधीश, बदनावर मेरे पक्ष में डिक्री प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा नामांतरण चाहा गया है, जो आज वर्तमान में लागू है, ऐसी स्थिति में उक्त डिक्री के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिए। इसमें स्टाम्प ड्यूटी का कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को नजरअंदाज कर जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) व्यवहार न्यायालय को आदेश को राजस्व न्यायालय द्वारा आक्षेपित नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संबंध में एम.पी.एल.जे. 1965 नवम्बर 147 ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 833, एम.पी.व्हीकली नोट्स 2015 नोट नं. 253 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टांतों पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना में होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 1970 मद्रास-5 एवं ए.आई.आर. 1971 मैसूर-318 का उल्लेख किया है, वह वर्तमान में लागू नहीं होते, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण के




तथ्य एवं परिस्थितियाँ भिन्न होने से उक्त न्यायदृष्टांत विचार योग्य नहीं हैं, अतः उक्त न्यायदृष्टांत के आधार पर पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।


(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने आधार पर स्टाम्प ड्यूटी अधिरोपित किये हैं, जो कि प्रकरण की स्थिति के विपरीत होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को तहसीलदार से पंजीयन शुल्क निर्धारण हेतु प्राप्त हुआ था। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा लिखत पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क की प्रभार्यता का निर्धारण कर उचित आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार, बदनावर से प्राप्त खसरे के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सिंचित भूमि है। प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित डिक्री पर नियमानुसार आदेश पारित दिनांक 27.07.2013 को प्रचलित बाजार मूल्य पर वर्ष 2013-14 की गाईड लाईन अनुसार मुद्रांक शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम की 1 क(म.प्र.) के अनुच्छेद 22 एवं अन्य अधिनियमों के तहत कुल स्टाम्प शुल्क राशि रु. 6,67,500/- निर्धारण का आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की गई है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।


अर


(मनीज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर